तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28/3/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी नहीं। आदेश नकल के लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड...
पीठासीन अ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:59:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 13 / 2022

प्रार्थीगण :—

1. खेताराम पुत्र प्रहलादराम
   जाति सुथार निवासी बाण्ड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. मिसराराम पुत्र मगाराम
2. पुरखाराम पुत्र मगाराम
3. किसनाराम पुत्र मगाराम जाति दर्जी
4. भेराराम पुत्र रावताराम
5. कमलेश पुत्र रावताराम
6. बाबूलाल पुत्र रावताराम
7. अन्तरीदेवी पत्नी रावताराम
8. पारू पत्नि उमाराम
9. मानाराम पुत्र जेठाराम जाति सुथार निवासी बाण्ड
10. रामलाल पुत्र नारणाराम
11. मंगलाराम पुत्र वरीगाराम
12. बुधाराम पुत्र वरीगाराम
13. वगतु पत्नि वरीगाराम
14. केसाराम पुत्र रामजी
15. भाखराराम पुत्र रामजी
16. मगाराम पुत्र लालाराम
17. प्रकाशराम पुत्र लालाराम
18. कुनणी पत्नि लालाराम
19. सोहन पुत्र लालाराम जाति विश्नोई निवासी बाण्ड
20. हीराराम पुत्र गुणेशा
21. गोरधन पुत्र गुणेशाराम
22. सदराम पुत्र रामलाल जाति विश्नोई निवासी खारा साचौर
23. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः—

1. श्री मानाराम विश्नोई अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. अप्रार्थीगण — अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

Signature Not Verified

दिनांक :— २८/०३/२२

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:59:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण [illegible] धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु [illegible] पेश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रक[illegible] दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मानाराम विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

जमाबन्दी संवत् 2072–2075 जाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा बाण्ड तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 117 रकबा 3.3346 हैक्टेयर एवं 141 रकबा 0.4452 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा बाण्ड तहसील गुडामालानी के खेत खसरा 117 रकबा 3.3346 हैक्टेयर एवं 141 रकबा 0.4452 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28/3/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 15:09:38 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी